प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला

फरियादी निशार खां उप0।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत

है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपीगण अनीश खां, रवि खां एवं शकील खां के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग–2 के अंतर्गत आरेाप विरचित किये गये हे। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपीगण अनीश खां, रवि खां एवं शकील खां को भा0द0सं0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने तोड़–तोड़ कर नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे।

खण्डपीट सदस्य. क्.1-

ान्टा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क021 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0